



श्रेष्ठ,

श्रीमती कविता नवियाल,
वित्त अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तरांचल।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राज्य निर्वाचन आयोग, अनुभाग:लेखा देहरादून।

विषय:- वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में अधिष्ठान की विभिन्न अवचन
मदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल
फैक्स पत्र संख्या-41/पंचु0/बजट/2005-06, दिनांक 23 जून, 2005 तथा राज्य निर्वाचन
आयोग के पत्र संख्या-365/रा0नि0आ0/लेखा-489(02)/2005 दिनांक 20 जून, 2005
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश
है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में जिला स्तरीय अधिष्ठान
हेतु विभिन्न मदों में पूर्व आवंटित धनराशि, के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2005-2006
आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्य
आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अ
मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 150000/- (रूपये एक लाख पचास हजार
की धनराशि संलग्न-परिशिष्ट-'क' के अनुसार व्यय हेतु आपको निवर्तन पर रखे
की स्वीकृति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि मितव्ययिता की मद
आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाएगा। उक्तानुसार आवंटित धनराशि
फलास्वरूप उत्तरांचल राज्य के समस्त जनपदों में कुल आवंटित धनराशि
3289000/- (रूपये बत्तीस लाख नवासी हजार मात्र) होगी।

2. उक्त आवंटित धनराशि का आहरण/व्यय एक मुश्त न कर आवश्यकता
मासिक व्यय की सारिणी बनाकर ही किया जाए। इससे केवल चालू कार्यों के लिए
व्यय किया जाएगा। आवंटित धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन अन्य मद
नहीं किया जायेगा।

3. आवंटित धनराशि के व्यय हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर जारी/जारी होने वाले आदेशों/निर्देश, टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
4. निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय करने हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आमणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाए।
5. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र बी.एम.-8 एवं बी.एम.-13 पर प्रत्येक माह की 05वीं तिथि तक राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग, (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जाएगा।
संलग्न-यथोक्त।

भवदीया,

(श्रीमती कविता नवियाल),
वित्त अधिकारी।

संख्या 398 (1)/रा0नि0आ0/लेखा-489(2)/2005 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. अपर सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल। (टिहरी गढ़वाल को छोड़कर)।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि निर्वाचन कार्यालय, उत्तरांचल।
8. वित्त अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

(श्रीमती कविता नवियाल),
वित्त अधिकारी।


राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल
(वित्तीय वर्ष 2005-2006)

अनुदान संख्या-19, लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-07-राज्य निर्वाचन आयोग-जिला स्तरीय पत्र संख्या-398/सोनि0आ0/लेखा/489(2)/2005 दिनांक 20 जून, 2005

(घनराशि हजार रुपये)

क्र० सं०	जनपद का नाम	मानक मद 42-अन्य व्यय			कुल योग		
		पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	टिहरी गढ़वाल	5	150	155	179	150	329
	सकल योग-	--	--	--	3139	150	3289

(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)


(श्रीमती कविता नवियाल)
वित्त अधिकारी